



2026:AHC-LKO:40636

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 5252 वर्ष 2025

समीर

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ, तथा 3 अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता : जय प्रकाश शुक्ला, अपूर्वा ज्योति, आशीष कुमार
रस्तोगी, मोहम्मद इमरान खान, नीरज कुमार
रावत, सलमान अब्बास, शहर बानो, सैयद शाहीन
फातिमा, सैयद वकार हुसैन
विपक्षीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष सं. - 11

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अभिलेख से प्रकट होता है कि शिकायतकर्ता को नोटिस की तामील पहले ही हो चुकी है, किंतु उसकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा थाना मड़ियांव, जनपद लखनऊ में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 73/2025, धारा 115(2), 76, 351(2) बी.एन.एस. तथा पाँक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे जमानत पर रिहा किए जाने की कृपा की जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के पक्ष के व्यक्तियों तथा वर्तमान मामले के शिकायतकर्ता के मध्य किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। तथापि, केवल आवेदक को परेशान करने के उद्देश्य से मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि पीड़िता को एक दुकान पर आवेदक द्वारा डांटा गया तथा अभियुक्तगण द्वारा उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। अभियुक्तगण ने उसकी बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की। इसके पश्चात् वे यह धमकी देते हुए वहां से भाग गए कि यदि उन्होंने पुलिस से संपर्क किया तो उनका घर जला दिया जाएगा। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि कथित रूप से फाड़े गए कपड़ों को विवेचक द्वारा कब्जे में नहीं लिया गया तथा न ही स्थल-नक्शा तैयार करते समय विवेचक द्वारा किसी दुकान का उल्लेख किया गया और न ही किसी दुकानदार का बयान दर्ज किया गया। तथापि, पीड़िता तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा लगाए गए सामान्य आरोपों के आधार पर आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि निकट भविष्य में विचारण के निष्कर्षित होने की कोई संभावना नहीं है तथा आवेदक, जिसका

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, दिनांक 06.05.2025 से जेल में निरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करने के पश्चात् विवेचक द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है। तथापि, उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि कथित दुकान का उल्लेख स्थल-नक्शे में नहीं किया गया है और न ही विवेचक द्वारा दुकानदार का बयान दर्ज किया गया है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु, प्रति-शपथपत्र तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि स्थल-नक्शे में किसी दुकान का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

6. आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक-समीर को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 73/2025 में, ₹20,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (i) आवेदक ऐसे किसी अपराध को कारित नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो जिसके कारित किए जाने का उस पर आरोप है अथवा जिसके कारित किए जाने का उस पर संदेह है।
- (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- (iii) आवेदक इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करे।
- (iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।
- (v) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर आवेदक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक निम्नलिखित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा: (क) वाद की कार्यवाही के आरंभ हेतु नियत तिथि पर, (ख) आरोप विरचित किए जाने हेतु नियत तिथि पर; तथा (ग) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने हेतु नियत तिथि पर। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करना स्वतंत्र होगा।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माना जाएगा और अधीनस्थ न्यायालय को जमानत निरस्तीकरण के संबंध में मामले में उचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह)

दिनांक : 09 जून, 2026

वी.के.एस.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।